प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा तथा

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक **2728/2011**

नोवा आयरन स्टील लिमिटेड

बनाम

कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा,
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूं |

सही/-
राधे श्याम शर्मा,
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक:13/10/2011 को सूचीबद्ध करे

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण

रिट याचिका सिविल क्रमांक **2728/2011**

याचिकाकर्ता

नोवा आयरन और स्टील लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है द्वारा वरिष्ठ महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), श्री बी.बी. श्रीवास्तव, पिता श्री ओ.बी.एल. श्रीवास्तव , जिसका कार्यालय और संयंत्र डाकघर दगोरी, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरदातागण

1. कोल इंडिया लिमिटेड, (भारत सरकार का उपक्रम) 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता, 700001, द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (एक मिनी रत्न श्रेणी की कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी), जिसका पंजीकृत कार्यालय सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित है, द्वारा मुख्य महाप्रबंधक (एस एंड एम), बिलासपुर

3. प्रबंधक (वित्त), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, 13, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 (पश्चिम बंगाल)

4. बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता मुख्य शाखा, द्वारा प्रबंधक, 23ए, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता 700001,

5. मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बिलासपुर शाखा, दयालबंद, बिलासपुर (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद **226/227** के तहत दायर रिट याचिका**)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविंद्र श्रीवास्तव, अधिवक्ता सह श्री आशीष श्रीवास्तव, नकुल मोहता और श्री राहुल श्रीवास्तव अधिवक्तागण उपस्थित।

प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन.के. शुक्ला और अधिवक्ता श्री आर.के. गुप्ता उपस्थित।

श्री आनंद शुक्ला, प्रतिवादी क्रमांक 4 और 5 के अधिवक्ता।

निर्णय

(13.10.2011)

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा न्यायालय द्वारा निमनलिखित निर्णय दिया गया

(1)याचिकाकर्ता एक पंजीकृत कंपनी है, जिसका स्पंज आयरन निर्माण संयंत्र नोवा नगर, दगोरी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में स्थित है। याचिकाकर्ता कंपनी ने अपने स्पंज आयरन निर्माण संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति के संबंध में 28.4.2008 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के साथ एक कोयला आपूर्ति करार किया था। करार की अवधि प्रभावी तिथि 28.4.2008 से 5 वर्ष थी। करार की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी क्र. 4 और 5 की संबंधित शाखा द्वारा एसईसीएल को कुल 1,37,70,000/- रुपये की 3 बैंक गारंटी जारी की गई थीं। एसईसीएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली और याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी जाने वाली कोयले की वार्षिक अनुबंध मात्रा (एसीक्यू) कोरबा कोलफील्ड्स में स्थित एसईसीएल की खानों और/या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से 1,35,000 टन थी और वर्ष के कुछ भाग के लिए, एसीक्यू को तदनुसार आनुपातिक किया जाना था। करार के खंड 4.5 कम डिलीवरी/उठाने के मुआवजे से संबंधित है।खंड 4.5.1 में यह प्रावधान है कि यदि किसी वर्ष के लिए विक्रेता द्वारा डिलीवरी का स्तर, या स्तर यदि किसी वर्ष के लिए क्रेता द्वारा माल की आपूर्ति100% से कम हो जाती है,तो दोषी पक्ष उक्त खंड के विनिर्देशों के अनुसार,आपूर्ति या आपूर्ति के स्तर में कमी के लिए दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होंगे । खंड 4.5.2 में यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रावधान है कि कम आपूर्ति/उपार्जन के लिए क्षतिपूर्ति दोषी पक्ष द्वारा दावे की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर दूसरे पक्ष को देय होगी। नियत तिथि तक भुगतान न करने की स्थिति में, दोषी पक्ष खंड 13 में उल्लिखित ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अनुबंध के खंड 16में अनुबंध/समझौते की समाप्ति का प्रावधान है। खंड 16.1.4 में यह प्रावधान है कि यदि डिलीवरी स्तर (**LD**) तीस प्रतिशत (30%) से कम हो जाता है या लिफ्टिंग स्तर (**LL**) तीस प्रतिशत (30%) से कम हो जाता है, तो क्रेता या विक्रेता, जैसा भी मामला हो, संबंधित वर्ष की समाप्ति के साठ (60) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को कम से कम तीस (30) दिनों का पूर्व लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखेगा। खंड 16.1.8 में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्ष धारा 16.1 में निर्दिष्ट न किए गए अनुबंध की किसी शर्त या नियम का उल्लंघन करता है ("दोषी पक्ष"), तो दूसरा पक्ष ("गैर-दोषी पक्ष") दोषी पक्ष को तीस (30) दिनों का पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखेगा, बशर्ते उक्त तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उल्लंघन को गैर-दोषी पक्ष की संतुष्टि के अनुरूप ठीक या सुधारा न गया हो। इसके अतिरिक्त, खंड 3.7 में यह प्रावधान है कि यदि या सुधारा न गया हो इसके अतिरिक्त, खंड 3.7 में यह प्रावधान है कि यदि विक्रेता खंड 16.1.4 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करता तो 16.1.8, विक्रेता को ऐसी समाप्ति पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विक्रेता के पास निहित किसी अन्य अधिकार के अलावा क्रेता की सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

(2) याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2010-2011 के लिए विषय अनुबंध के तहत 30% से कम एसीक्यू बुक किए जाने के कारण, धारा 16.1.4 के अनुसार कोयला आपूर्ति अनुबंध समाप्त कर दिया गया और धारा 3.7 के अनुसार बैंक गारंटी लागू कर दी गई तथा दिनांक 7/8-4-2011 का आक्षेपित पत्र याचिकाकर्ता को भेजा गया।आक्षेपित पत्र के सुसंगत अंश इस प्रकार हैं:(अनुलग्नक-पी/1) को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड"

'मिनीरत्न' श्रेणी-1 कंपनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

सीपत रोड, पी.ओ. एसईसीएल, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़)

_____एसईसीएल/बीएसपी/एस एंड एम/कॉम/168/एनआई

सीपत रोड, पी.ओ. एसईसीएल, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) एसएल/91

दिनांक: 07.04.2011/

08/04/11

स्पीड पोस्ट

कार्यालय:

नोवा आयरन सीपत रोड, पी.ओ. एसईसीएल, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) स्टील लिमिटेड, नोवा नगर, डागोरी (पीओ), जिला। बिलासपुर (छ.ग.)-495224 स्थापित करना: नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, नोवा नगर, डागोरी (पीओ), जिला। बिलासपुर (छ.ग.)-495224

प्रिय महोदय,

विषय: कोयला आपूर्ति समझौते की समाप्ति एसईसीएल और नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड के बीच नोवा नगर, डागोरी (पीओ), जिला बिलासपुर (सीजी)-495224 में स्पंज आयरन प्लांट के लिए 1,35,000 टन की एसीक्यू के साथ कोयला आपूर्ति समझौता दिनांक 28.04.2008 (*) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिकॉर्ड के अनुसार, यह पाया गया है कि क्रेता ने उक्त कोयला आपूर्ति समझौते के तहत वर्ष 2010-11 के लिए एसीक्यू का 30% से कम बुक किया है उपरोक्त के मद्देनजर, यह सूचित किया जाता है कि उक्त अनुबंध की समाप्ति और सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती अनुबंध के खंड 16.1.4 और खंड 3.7 के अनुसार की जा रही है।

(*) एफएसए क्रमांक 163 एसईसीएल सूची के अनुसार।

आपका विश्वासी,

सही/-

मुख्य महाप्रबंधक (एस एंड एम)

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी प्रतिलिपि निम्नलिखित पते पर भेजें:

1. जीएम (क्यूसी), एसईसीएल, बिलासपुर

2. सीजीएम/जीएम, सभी क्षेत्र, एसईसीएल

3. जीएम (एस एंड एम), एसईसीएल, बिलासपुर

4.वरिष्ठ प्रबंधक (एस एंड एम)/(आरएस), एसईसीएल, बिलासपुर, उनके नोट पत्र संख्या एसईसीएल/बीएसपी/एस एंड एम/ऑफर/2124 दिनांक 01.04.2011 के संदर्भ में

5. वरिष्ठ प्रबंधक (एस एंड एम)/(ऑपरेशन), एसईसीएल, बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. एएसएम, सभी क्षेत्र, एसईसीएल

7.वरिष्ठ प्रबंधक (एस एंड एम)/(प्रभारी), एसईसीएल, कोलकाता

8.वरिष्ठ प्रबंधक(वित्त)/प्रमुख, एसईसीएल, कोलकाता

9. वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त), एसएंडएम विभाग, एसईसीएल बिलासपुर जानकारी के लिए कॉपी करें:

1. डीटी(ओ), सेक्ल में कॉपी:

2. एसईसीएल वेबसाइट"

(3)उक्त कार्रवाई के अनुसरण में एसईसीएल ने 9.5.2011 को बैंक को पत्र लिखा (अनुलग्नक-पी/2) 1,37,70,000/- रुपये की बैंक गारंटी को भुनाने के लिए, और इस प्रकार, बैंक गारंटी को लागू किया गया।

(4)एसईसीएल की उपरोक्त कार्रवाई और ऊपर उल्लिखित दो पत्र , अनुलग्नक-पी/1 और पी/2, को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(5)याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविंद्र श्रीवास्तव ने तर्क दिया है कि अनुबंध की समाप्ति मनमानी और अवैध है; खंड 16.1.8 के तहत अपेक्षित 30 दिन का नोटिस याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया था और उपरोक्त खंड के अनुसार अनुबंध की समाप्ति से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी 1 से 3 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. एन.के. शुक्ला ने इन तर्कों का विरोध किया और एसईसीएल द्वारा की गई कार्रवाई को उचित ठहराया। उन्होंने पुरजोर तर्क दिया कि करार के खंड 15 के अनुसार विवाद के निपटारे के लिए एक तंत्र मौजूद है और उपरोक्त वैकल्पिक प्रभावी उपचार के आलोक में, यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है । उन्होंने इस न्यायालय के मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड बनाम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य**,** एआईआर **2009** छत्तीसगढ़ **14 (**डीबी**)** के निर्णय का हवाला दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिनांक 7/8-4-2011 का पत्र (अनुलग्नक-पी/1) वास्तव में अनुबंध समाप्त करने की सूचना है, जिसके बाद बैंक गारंटी लगभग 1 महीने बाद यानी 9 मई, 2011 को भुनाई गई थी। इसलिए, नै नैसार्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(7)हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी परीशीलन किया है।

(8)जहां तक करार के खंड 15 के प्रावधानों, यानी विवाद निपटान तंत्र के मद्देनजर, रिट याचिका की पोषणीयता से संबंधित तर्क का संबंध है, हम इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना चाहेंगे।

(9)हरबंसलाल साहनी और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य**, (2003) 2** एससीसी **107** में**,** सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि "वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट अधिकारिता को निर्दिस्ट करने का नियम विवेकाधिकार का नियम है, बाध्यकारी नहीं। उपयुक्त मामले में, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद, उच्च न्यायालय अभी भी अपने रिट अधिकार का प्रयोग कर सकता है।" कम से कम तीन परिस्थितियों में अधिकारिताा **(i)** जहां रिट याचिका किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की मांग करती है; **(ii)** जहां नैसार्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है; या **(iii)** जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकारिता से निर्दिस्ट हैं या किसी अधिनियम की वैधता को चुनौती दी जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10)यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम तांतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**, (2011) 5** एससीसी **697** में, सर्वोच्च न्यायालय ने हरबंसलाल शाहनी **(**पूर्वोत्तर**);** मॉडर्न स्टील इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.**, (2001) 10** एससीसी **491;** व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन

बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, **(1998) 8** एससीसी **1;** एनएसएसओ बनाम चंपा प्रॉपर्टीज लिमिटेड, **(2009) 14** एससीसी **451** और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सुपर हाईवे सर्विसेज, **(2010) 3** एससीसी **321** का अवलम्बन लेटे हुये में यह माना कि " सुस्थापित हो चुका है कि वैकल्पिक उपाय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता के प्रयोग में पूर्ण बाधा नहीं है और ऐसे वैकल्पिक उपचार का उपयोग किए बिना, रिट याचिका पोषणीय नहीं होगी। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियों को प्रधिकारियों के लिए उपलब्ध किसी भी वैकल्पिक उपचार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। अन्याय, चाहे वह कहीं भी और कभी भी हो, विधि के शासन और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध अभिशाप है, इसलिए उसे समाप्त किया जाना चाहिए।" इस मामले में यह माना गया कि "समझौते में निहित मध्यस्थता खंड से संबंधित प्रावधानों के बावजूद, उच्च न्यायालय प्रतिवादी कंपनी की ओर से दायर रिट याचिका पर विचार करने और उसका निरकरण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) यदि.उपरोक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू किया जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन हुआ है और इस प्रकार एसईसीएल द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह से अनुचित हो जाता है। अनुलग्नक-पी/1 की तथ्यात्मक सामग्री से पता चलता है कि खंड 16.1.4 के

अनुसार उपचार समाप्त कर दिया गया था और खंड 3.7 के तहत बैंक गारंटी लागू की गई थी। बेहतर ढंग से समझने के लिए, हालांकि दोहराव का जोखिम उठाते हुए, हम करार के दो खंडों, अर्थात् खंड 16.1.4 और 16.1.8 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिन्हें एसईसीएल द्वारा लागू किया गया है। उपरोक्त खंड इस प्रकार हैं:-

"**16.1.4**.यदि डिलीवरी का स्तर (एलडी) तीस प्रतिशत (30%) से कम हो जाता

है या लिफ्टिंग का स्तर (एलएल) तीस प्रतिशत (30%) से कम हो जाता है, तो क्रेता या विक्रेता, जैसा भी मामला की हो, संबंधित वर्ष की समाप्ति के साठ (60) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को कम से कम तीस (30) दिनों की पूर्व लिखित सूचना प्रदान करने के बाद अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16.1.8 यदि कोई पक्षकार करार की किसी शर्त या नियम का उल्लंघन करता है ("दोषी पक्षकार"), जिसका उल्लेख खंड 16.1 में नहीं किया गया है, तो दूसरे पक्षकार ("गैर-दोषी पक्षकार")को दोषी पक्षकार को तीस (30) दिन का पूर्व नोटिस देने के बाद करार समाप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते उक्त तीस(30) दिनों की अवधि के भीतर उल्लंघन को गैर-दोषी पक्षकार की संतुष्टि के अनुरूप ठीक या सुधारा न गया हो।

(12)उपरोक्त खंडों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता और क्रेता दोनों को करार समाप्त करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु, करार समाप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक संबंधित पक्ष को 30 दिन का लिखित नोटिस न दिया जाए। खंड 16.1 में निर्दिष्ट न किए गए किसी अन्य आधार पर भी करार समाप्ति के लिए 30 दिन का नोटिस को आवश्यक बनाया गया है। करार की उपरोक्त दो खंडों से स्पष्ट है कि नोटिस देने का उद्देश्य दोषी पक्ष को 30 दिनों के भीतर उल्लंघन को सुधारने या गैर-दोषी पक्ष की संतुष्टि के अनुरूप क्षतिपूर्ति करने के लिए आगाह करना है। इससे पता चलता है कि पक्षों ने धारा 16.1 में उल्लिखित स्थितियों में या करार की शर्तों के किसी अन्य उल्लंघन की स्थिति में करार की स्वतः समाप्ति पर कभी सहमति नहीं दी है, बल्कि उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर चूक को सुधारने और क्षतिपूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि धारा 16.1.4 में "करार को समाप्त करने का अधिकार होगा" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपरोक्त खंडो के प्रावधानों को करार के खंड 4.1.5 के अंतर्गत दिए गए कम भार उठाने/कम डिलीवरी के मुआवजे के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। समझौते के उपरोक्त सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि समाप्ति से पहले लिखित नोटिस देना आवश्यक था और दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना समाप्ति का सीधा निर्णय नैसार्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जैसा कि हम इस मामले में पाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13)डॉ. शुक्ला द्वारा अवलंबित मेसर्स लैंको अमरकंटक (पूर्वोक्त) का मामला तथ्यों के आधार पर भिन्न है। उक्त मामले में एसईसीएल द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 27/28-2007 को एक पूर्व सूचना जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि कुछ चूकों के कारण अनुबंध समाप्त करने योग्य हो गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जवाब दाखिल किया और अपने द्वारा उठाए गए कदमों को उचित ठहराया। जवाब के बाद,याचिकाकर्ता ने बैंक द्वारा देय सटीक राशि के बारे में भी पूछा। प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में गारंटी प्रस्तुत की जानी थी। एसईसीएल ने अपने 7.3.2007 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में 15,30,000/- रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने 8.3.2007 को पूरा कर दिया। इसके बाद, जब याचिकाकर्ता ने कोयले की आपूर्ति शुरू करने का अनुरोध किया, तो प्रतिवादियों ने अनुबंध समाप्त कर दिया और बैंक गारंटी जब्त कर ली। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों, जिनमें हरबंसलाल शाहनी (पूर्वोक्त) भी शामिल है, पर विचार करते हुए, तथ्यों के आधार पर यह माना कि यह ऐसा मामला नही था जिसमें किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई प्रार्थना की गई हो, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, या आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकारिता विहिन हो, या किसी तथ्य की वैधता को चुनौती दी गई हो, और इस न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उपरोक्त निर्णय हममें से एक (एस.के. सिन्हा, न्यायमूर्ति)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा लिखा गया था,जिसे माननीय मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से सुनाया गया था। हमारा मानना है कि उपरोक्त निर्णय तथ्यों के आधार पर भिन्न है और उक्त निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान मामले में प्रतिवादिगण के लिए सहायक नहीं हो सकता। वर्तमान मामला नैसार्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण विफलता का मामला है और इसलिए रिट याचिका पोषणीय है।

(14)डॉ.शुक्ला ने हमारे समक्ष यह तर्क देने का प्रयास किया कि अनुलग्नक-पी/1 वास्तव में करार की उपरोक्त खंडो के अंतर्गत एक नोटिस था। उन्होंने इस तथ्य पर जोर देकर अपने तर्कों को सही ठहराने का प्रयास किया कि दिनांक 7/8-4-2011 के आक्षेपित पत्र जारी होने के बाद, उनके अनुसार, यह करार की शर्तों के अनुसार एक नोटिस था, बैंक गारंटी को 9 मई, 2011 के ज्ञापन (अनुलग्नक-पी/2) द्वारा एक महीने बाद लागू किया गया था, और इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15)हम डॉ. शुक्ला के उक्त तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। हम पहले ही अनुलग्नक-पी/1 की सामग्री उद्धृत कर चुके हैं। अनुलग्नक-पी/1 के पहले दो पैराग्राफ औपचारिक हैं। तीसरे पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अनुलग्नक-पी/1 याचिकाकर्ता को करार की समाप्ति की सूचना देने और साथ ही सुरक्षा जमा राशि की ज़ब्ती के लिए कदम उठाने के संबंध में भेजा गया था। इसे अनुबंध की समाप्ति से 30 दिन पहले की

सूचना नहीं माना जा सकता। वास्तव में, यह अनुबंध के पहले ही समाप्त होने की सूचना है। बैंक गारंटी का नकदीकरण "समाप्ति" का एक अनिवार्य परिणाम है, न कि "समाप्ति की सूचना" का। यह पूरी तरह से एक अलग कार्रवाई है और इसे अनुबंध के अनुसार 30 दिन पहले की सूचना की अनिवार्य आवश्यकता के साथ नहीं मिलाया जा सकता। यदि अनुलग्नक पी/1 एक सूचना है, जैसा कि अपेक्षित है, तो समाप्ति का आदेश कहाँ है? एसईसीएल द्वारा समाप्ति का ऐसा कोई बाद का आदेश दाखिल नहीं किया गया है। बहस के दौरान भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16)हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम सुपर हाईवे सर्विसेज और अन्य, (2010) 3 एससीसी 321 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि

"किसी पक्ष के डिलरशीप करार को रद्द करना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह के करार को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए" करार के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रूपसे और उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। डिलरशीप करार की समाप्ति से पहले पीड़ित व्यक्ति को नोटिस न देना इस सुस्थापित सिद्धांत का भी उल्लंघन है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवादी 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाए या कम से कम उसके करा को समाप्त

करने से पहले उसे कार्यवाही की सूचना देने का गंभीर प्रयास किया जाए। इस मामले में, याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना कोयला आपूर्ति करार समाप्त कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए, समाप्ति के निर्णय और दोनों संचार (अनुलग्नक-पी/2 और पी/2) रद्द किए जाने योग्य हैं।

(17) तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और करार की समाप्ति का निर्णय तथा दिनांक 7/8-4-2011 (अनुलग्नक-पी/1) और 9.5.2011 (अनुलग्नक-पी/2) के दोनो पत्र रद्द किए जाते हैं। उपरोक्त निर्णय/पत्रों को रद्द करने के परिणाम स्वरूप कार्रवाई की जाएगी। एसईसीएल को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कदम उठाने की छूट है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अनुबंध के विभिन्न खंड, जिनमें ऊपर उल्लिखित खंड भी शामिल हैं, का विधिवत अनुपालन करते हुए कोयले की ढुलाई में कथित चूक की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(18) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

सही/-

राधे श्याम शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं कियाजाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप हीअभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MS.MAMTA MAHILANGE ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur